न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 22/2015

1. प्रेमकौर बेवा करनैल सिंह जाति रायसिंख निवासी 1 यू साधावाली काट, केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीकरनपुर।
2. मंगलसिंह पुत्र स्व. श्री करनैल सिंह जाति रायसिख निवासी 1 यू साधावाली काट, केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. बीरो बाई पुत्री वरयाम सिंह पत्नी जीतसिंह निवासी 14 एक्स माझीवाला तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।

जरिये मुखत्यारे आम प्रेमकौर बेवा करनैल सिंह जाति रायसिंख निवासी 1 यू साधावाली काट, केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्री वरयाम सिंह जाति रायसिख निवासी 4 एफ.डी. तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर।
2. महेन्द्र सिंह (मृतक) पुत्र श्री वरयाम सिंह जाति रायसिख निवासी 4 एफ.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर के उत्तराधिकारी वारिसान :–

2/1 सरजीत कौर बेवा महेन्द्र सिंह जाति रायसिख निवासी 4 एफ.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

2/2 बचनसिंह पुत्र स्व. श्री महेन्द्र सिंह जाति रायसिख निवासी 4 एफ.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

2/3 बुटा सिंह पुत्र स्व. श्री महेन्द्र सिंह जाति रायसिख निवासी 4 एफ.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

2/4 रेशमा पुत्री स्व. श्री महेन्द्र सिंह जाति रायसिख निवासी 4 एफ.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

2/5 गुडी पुत्री स्व. श्री महेन्द्र सिंह जाति रायसिख निवासी 4 एफ.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :

1. श्री मलकीत सिंह नन्दा अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री राजेन्द्र कुमार ग्रोवर राजकीय अधिवक्ता

:: आदेश :: **दिनांक :– 18.09.2018**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट के ससुर (वरयाम सिंह) व अपीलांट सख्या 2 के दादा व अपीलांट सख्या 3 के पिता के नाम से चक 4 एफ.डी. में मुरब्बा नम्बर 51 में 3.1610 हैक्टेयर भूमि खातेदारी दर्ज कागजात थी। वरयाम सिंह की मृत्यु दिनांक 20.12.1994 को हो गई है। वरयाम सिंह की दो शादियां हुई पहली पत्नी रजो बाई जिससे दो संताने करनैलसिंह (पुत्र) व वीरो (पुत्री) पैदा हुई। रजोबाई की मृत्यु दिनांक 02.10.1970 को हो गई व उसके पश्चात वरयाम सिंह ने दुसरी शादी हुकमी बाई से कर ली जिसकी भी मृत्यु दिनांक 23.06.2008 को हो गई। हुकमी बाई से 5 संताने पैदा हुई। राजो बाई के नुतफे से पैदा हुए करनैल सिंह का कतल दिनांक 19.05.1984 को जोगिन्द्र सिंह वगैरा ने कर दिया था और अपीलांट सख्या 1 करनैल सिंह की बेवा है। जिसका व उसके बच्चों का वरयाम सिंह की जायदाद में हक व हिस्सा है। वरयाम सिंह की मृत्यु 1994 में हो गई थी और उसके मृत्यु के पश्चात उसकी जायदाद का इंतकाल उसके सभी वारिसों में बराबर–बराबर होना चाहिए था। लेकिन जोगेन्द्र सिंह के मन में लालच आ गया और

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

लालचवंश होकर इंतकाल नहीं होने दिया। अपीलांट सख्या 1 जब भी पुछती तो कह देता कि करवा दूंगा। लालच के वशीभूत होकर उसने एक फर्जी वसीयत पुरानी तारीख दिनांक 09.05.1993 की तैयार करवाई। जिसमें 10 बीघा जमीन जोगेन्द्र सिंह ने अपने नाम लिखवाई व 2.10 बीघा जमीन महेन्द्र सिंह के नाम लिखवाई और जब महेन्द्र सिंह की मृत्यु दिनांक 30.09.2004 को हो गई थी और इस वसीयत के आधार पर जोगेन्द्र सिंह ने इंतकाल दिनांक 22.06.2014 को दर्ज करवाया जबकि महेन्द्र सिंह इंतकाल दर्ज होने से पूर्व ही फौत हो चुका था। वरयाम सिंह की मृत्यु 1994 में हो गई थी तो 1994 से लेकर 2014 तक इंतकाल क्यों नहीं करवाया। असल में वरयाम सिंह द्वारा कोई भी वसीयत नहीं की गई थी और जो वसीयत 1993 की दिखाई गई है वह वसीयत जोगेन्द्र सिंह द्वारा कूटरचित व फर्जी तैयार करवाई गई है। जिसमें उन्होने उसमें हुकमी बाई को पहली पत्नी व रजो बाई को दुसरी पत्नी दिखाया है जबकि वास्तव में रजो बाई पहली पत्नी थी व उसकी मृत्यु के बाद वरयाम सिंह ने दुसरी शादी हुकमी बाई से की । वसीयत में भी लिखवाया गया कि दुसरी पत्नी रजो बाई व उसकी कोख से जन्में संतानो का कोई हक नहीं होगा। यह सारी बाते सोच समझकर अपीलांटान को अपने हक से महरूम करने के लिए कूटरचित व फर्जी वसीयत तैयार कर लिखवाई गई है। वरयाम सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में कोई भी भूमि रजो बाई के बच्चो को (अपीलांटान) को नहीं दी गई बल्कि वरयाम सिंह के नाम से जो 12.10 बीघा 2 एफ.बी. में थी उसको बेचकर वरयाम सिंह ने 4 एफ.डी. में उपरोक्त 12.10 बीघा भूमि ली थी। जिसमें अपीलांटान का बराबर का हिस्सा है। इंतकाल करने से पूर्व तहसीलदार, गजसिंहपुर द्वारा अपीलांट को न तो कोई नोटिस और न ही किसी प्रकार की कोई सूचना और न ही कब्जे के बारे में कोई जांच की गई। यह कानूनन उप तहसीलदार को इंतकाल तस्दीक करने का कोई अधिकार नहीं है। सारी कार्यवाही खिलाफ कानून की गई है। अतः अपीलांटान की अपील स्वीकार की जाकर दिनांक 22.06.2014 उप तहसीलदार गजसिंहपुर द्वारा तस्दीक किया गया इन्तकाल खारिज किया जावे।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट के ससुर (वरयाम सिंह) व अपीलांट सख्या 2 के दादा व अपीलांट सख्या 3 के पिता के नाम से चक 4 एफ.डी. में मुरब्बा नम्बर 51 में 3.1610 हैक्टेयर भूमि खातेदारी दर्ज कागजात थी। वरयाम सिंह की मृत्यु दिनांक 20.12.1994 को हो गई है। वरयाम सिंह की दो शादियां हुई पहली पत्नी रजो बाई जिससे दो संताने करनैलसिंह (पुत्र) व वीरो (पुत्री) पैदा हुई। रजोबाई की मृत्यु दिनांक 02.10.1970 को हो गई व उसके पश्चात वरयाम सिंह ने दुसरी शादी हुकमी बाई से कर ली जिसकी भी मृत्यु दिनांक 23.06.2008 को हो गई। हुकमी बाई से 5 संताने पैदा हुई। राजो बाई के नुतफे से पैदा हुए करनैल सिंह का कतल दिनांक 19.05.1984 को जोगिन्द्र सिंह वगैरा ने कर दिया था और अपीलांट सख्या 1 करनैल सिंह की बेवा है। जिसका व उसके बच्चों का वरयाम सिंह की जायदाद में हक व हिस्सा है। वरयाम सिंह की मृत्यु 1994 में हो गई थी और उसके मृत्यु के पश्चात उसकी जायदाद का इंतकाल उसके सभी वारिसों में बराबर–बराबर होना चाहिए था। लेकिन जोगेन्द्र सिंह के मन में लालच आ गया और लालचवंश होकर इंतकाल नहीं होने दिया। अपीलांट सख्या 1 जब भी पुछती तो कह देता कि करवा दूंगा। लालच के वशीभूत होकर उसने एक फर्जी वसीयत पुरानी तारीख दिनांक 09.05.1993 की तैयार करवाई। जिसमें 10 बीघा जमीन जोगेन्द्र सिंह ने अपने नाम लिखवाई व 2.10 बीघा जमीन महेन्द्र सिंह के नाम लिखवाई और जब महेन्द्र सिंह की मृत्यु दिनांक 30.09.2004 को हो गई थी और इस वसीयत के आधार पर जोगेन्द्र सिंह ने इंतकाल दिनांक 22.06.2014 को दर्ज करवाया जबकि महेन्द्र सिंह इंतकाल दर्ज होने से पूर्व ही फौत हो चुका था। वरयाम सिंह की मृत्यु 1994 में हो गई थी तो 1994 से लेकर 2014 तक इंतकाल क्यों नहीं करवाया। असल में वरयाम सिंह द्वारा कोई भी वसीयत नहीं की गई थी और जो वसीयत 1993 की दिखाई गई है वह वसीयत

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

जोगेन्द्र सिंह द्वारा कूटरचित व फर्जी तैयार करवाई गई है। जिसमें उन्होने उसमें हुकमी बाई को पहली पत्नी व रजो बाई को दुसरी पत्नी दिखाया है जबकि वास्तव में रजो बाई पहली पत्नी थी व उसकी मृत्यु के बाद वरयाम सिंह ने दुसरी शादी हुकमी बाई से की । वसीयत में भी लिखवाया गया कि दुसरी पत्नी रजो बाई व उसकी कोख से जन्में संतानो का कोई हक नहीं होगा। यह सारी बाते सोच समझकर अपीलांटान को अपने हक से महरूम करने के लिए कूटरचित व फर्जी वसीयत तैयार कर लिखवाई गई है। वरयाम सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में कोई भी भूमि रजो बाई के बच्चो को (अपीलांटान) को नहीं दी गई बल्कि वरयाम सिंह के नाम से जो 12.10 बीघा 2 एफ.बी. में थी उसको बेचकर वरयाम सिंह ने 4 एफ.डी. में उपरोक्त 12.10 बीघा भूमि ली थी। जिसमें अपीलांटान का बराबर का हिस्सा है। इंतकाल करने से पूर्व तहसीलदार, गजसिंहपुर द्वारा अपीलांट को न तो कोई नोटिस और न ही किसी प्रकार की कोई सूचना और न ही कब्जे के बारे में कोई जांच की गई। यह कानूनन उप तहसीलदार को इंतकाल तस्दीक करने का कोई अधिकार नहीं है। सारी कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विरूद्व की गई है। अतः अपीलांटान की अपील स्वीकार की जाकर दिनांक 22.06.2014 उप तहसीलदार गजसिंहपुर द्वारा तस्दीक किया गया इन्तकाल खारिज किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि उपतहसीलदार गजसिंहपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.06.2014 द्वारा जो इन्तकाल तस्दीक किया गया है वह सही तस्दीक किया गया है क्योंकि उक्त इन्तकाल वसीयत के आधार पर भरा गया है जो वर्ष 1993 में रेस्पोडेन्ट के पिता द्वारा उनके हक में वसीयत की गई थी उसके आधार पर ही भरा गया है। उप तहसीलदार गजसिंहपुर द्वारा पूर्ण सुनवाई कर अपने आदेश दिनांक 22.06.2014 से भरा गया नामान्तकरण सही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि नायब तहसीलदार गजसिंहपुर के आदेश दिनांक 22.06.2014 से जो अपीलाधीन इन्तकाल तस्दीक किया गया वह विधिसम्मत् नहीं है क्योंकि नायब तहसीलदार गजसिंहपुर द्वारा अपीलांटान को सुनवाई का विधि सम्मत् अवसर प्रदान किये गये बिना तस्दीक किया गया है। जिस वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण भरकर तस्दीक किया गया है वह अपंजीकृत दस्तावेज है। अधीनस्थ न्यायालय को मृतक के सभी वैध वारिसान को बाकायदा नोटिस जारी कर उनको सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिए था। अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन नामांतरकरण वाली भूमि स्व0 श्री वरियाम सिंह द्वारा पुश्तैनी रूप में घारित 12.10 बीघा चक 2 एफ.बी. का बेचान करके क्रय की है लिहाजा क्रय की गई अपीलाधीन भूमि पैतृक सम्पति के रूप में मानी जावे। ऐसी स्थिति में समग्र रूप से सम्यक जांच पश्चात् ही निर्णय पारित करना न्यायोचित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर नामान्तरकरण संख्य 280 दिनांक 22.06.2014 चक एफ.डी. को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार रायसिंहनगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि वह उपरोक्त विवेचन में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में पूर्ण जांच कर उभयपक्ष को समुचित सुनवाई/साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय कर नये सिरे से नामान्तरकरण भरकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। आदेश की प्रमाणित प्रति नायब तहसीलदार गजसिंहपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 18.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/9/18

(नखतदान बारहठ)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर